

सं. 1(2)/2023-पी&पीडब्ल्यू(एच)  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय  
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन  
खान मार्केट, नई दिल्ली  
9 अगस्त, 2023

कार्यालय जापन

**विषय: राष्ट्र-व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र(डीएलसी) अभियान 2.0, 1-30 नवंबर, 2023 के लिए व्यापक दिशानिर्देश**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों द्वारा हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाणपत्र जमा करना एक महत्वपूर्ण कार्य है (80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अक्टूबर माह में अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के विशेष प्रावधान के साथ)।

2. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के सुविधापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए, इस विभाग ने यूआईडीएआई और मेटी(MeitY) के साथ मिलकर यूआईडीएआई आधार डेटाबेस पर आधारित एक फेस-ऑर्थेंटिकेशन तकनीक प्रणाली विकसित की है, जिससे किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से जीवन प्रमाणपत्र जमा करना संभव है। यह जीवन प्रमाण ऐप पर बायो-मेट्रिक डियाइस का उपयोग करके, वीडियो-केवाईसी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ऐप का उपयोग करके राष्ट्रीय डाक सेवकों के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा डोर-स्टेप सेवा के अतिरिक्त जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की नई प्रसुविधा है।

3. फेस ऑर्थेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन संवितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नवंबर, 2022 माह में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पेंशनभोगी संघों, यूआईडीएआई तथा मेटी(MeitY) के सहयोग से 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इस अभियान के परिणामस्वरूप पूरे भारत में केंद्र सरकार के 69.8 लाख पेंशनभोगियों में से लगभग 35 लाख पेंशनभोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र का उपयोग किया।

4. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग अब 1 से 30 नवंबर, 2023 तक भारत के 100 ऐसे शहरों में एक राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 आयोजित करेगा, जहां केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या अधिक है। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में लक्षित 50 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों में फेस ऑर्थेंटिकेशन तकनीक और डीएलसी मोड के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देना है। फेस ऑर्थेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी जारी करने की तकनीक से संबंधित एसओपी संदर्भ के लिए संलग्न है।

5. इस अभियान को संचालित करने के लिए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को निम्नलिखित हितधारकों का समर्थन प्राप्त होगा:

- सभी पेंशन संचितरण बैंक
- सभी पेंशनभोगी संघ
- रक्षा, डाक & रेल मंत्रालय (उनके स्वयं के पेंशनभोगियों के लिए)
- पीआईबी & दूरदर्शन मीडिया के लिए)
- यूआईडीएआई तथा मेटी(MeitY) तकनीकी मदद के लिए)

6. राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 की विशेषताएं:

- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान का एक समान अखिल-भारतीय बैनर होगा जिसे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अलग से साझा किया जाएगा।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग प्रत्येक राज्य के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेगा; ये नोडल अधिकारी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपर्युक्त विभिन्न हितधारकों के अभियान नोडल अधिकारियों के साथ संपर्क करेंगे।
- 100 शहरों का चयन कर लिया गया है और हितधारकों के परामर्श से प्रत्येक शहर में कई स्थलों को चुना जाएगा।
- बैंकों/प्रतिष्ठानों द्वारा अभियान के लिए चुने गए प्रत्येक शहर में अभिज्ञात कई स्थलों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- प्रत्येक बैंक, हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेगा जो अभियान के लिए प्रत्येक शहर के लिए बैंक के नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करेगा। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केवल राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।
- रक्षा, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार मंत्रालय अपने स्वयं के नोडल अधिकारियों को नियुक्त करेंगे।
- यूआईडीएआई तथा मेटी(MeitY) प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए तकनीकी सहायता के लिए नोडल अधिकारियों को भी नामित करेंगे।
- पीआईबी और दूरदर्शन प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे।
- नवंबर, 2023 से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, बैंकों और पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाएगा।
- किसी राज्य विशेष में अभियान से जुड़े बैंकों/प्रतिष्ठानों द्वारा नवंबर के निर्दिष्ट दिनों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सभी बैंक शाखाओं द्वारा बैंकों में पहुंचने वाले पेंशनभोगियों के लिए अन्य दिनों में भी शिविर लगाए जाएंगे।
- अभियान की प्रगति पर रिअल-टाइम इनपुट देने के लिए अपने सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए मेटी(MeitY) को सम्मिलित किया जाएगा।
- अभियान के दौरान सूचना की रिअल-टाइम शेयरिंग के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा सभी नोडल अधिकारियों का एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया जाएगा।

7. यूआरएल <https://ipension.nic.in/dlcportal/> के साथ एक पृथक डीएलसी पोर्टल बनाया गया है जिसमें राज्य और शहर स्तर पर नोडल अधिकारियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। अभियान से संबंधित सभी इनपुट जैसे ट्वीट्स के यूआरएल और पीआईबी नोट्स/प्रेस विज्ञप्तियों को इस पोर्टल पर डाला जाएगा। डीएलसी पोर्टल के लिए यूजर मैन्युअल संदर्भ के लिए संलग्न है।

8. अभियान-पूर्व तैयारी चरण (1 अगस्त – 30 अगस्त, 2023)

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, सभी बैंकों, रक्षा(स्पर्श), यूआईडीएआई, मेटी(MeitY), पीआईबी और दूरदर्शन द्वारा नोडल अधिकारियों का नामांकन।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ 100 अभिजात शहरों के लिए सभी हितधारकों की राज्यवार बैठकें।
- फेस ऑथेंटिकेशन और डीएलसी पोर्टल के माध्यम से डीएलसी पर डीओपीपीडब्ल्यू/यूआईडीएआई/मेटी (MeitY) द्वारा नोडल अधिकारियों, बैंकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

9. अभियान अवधि की गतिविधियां (1 नवंबर – 30 नवंबर, 2023)

- माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री के तत्वावधान में 1 नवंबर, 2023 को राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 का शुभारंभ।
- 1-10 नवंबर, 2023 तक जब अधिकतम भीड़ होने की संभावना हो, कार्यक्रम के अनुसार 100 शहरों में डीएलसी शिविर, तत्पश्चात बैंकों/प्रतिष्ठानों में इस सुविधा को जारी रखा जाएगा।
- अभियान की निगरानी तथा निरीक्षण करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के नामित अधिकारियों का विभिन्न स्थलों पर दौरा।
- पूर्व-निर्धारित प्रारूप में, जिसके बारे में पृथक रूप से सूचित किया जाएगा, डीएलसी अभियान की प्रगति के बारे में मेटी(MeitY) द्वारा केंद्रीय रूप से डेटा का दैनिक अपडेट।
- संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक शहर में प्रत्येक स्थल के लिए पीआईबी नोट और ट्वीट जारी करना। इसकी निगरानी उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रभारी डीओपीपीडब्ल्यू अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 15 नवंबर 2023 को मध्य-अभियान प्रेस कॉन्फ्रेंस।
- पोर्टल/सोशल मीडिया ग्रुप पर नोडल अधिकारियों द्वारा अभियान पर पीआईबी नोट्स, ट्वीट लिंक, दूरदर्शन कवरेज साझा करना।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 30 नवंबर को अभियान-समाप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान पुस्तिका का विमोचन।

10. राष्ट्र-व्यापी डीएलसी 100 सिटी अभियान के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों की भूमिका:

➤ पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की भूमिका

- अभियान का व्यौरा देने वाले पत्र सभी हितधारकों को जारी करें।
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए नोडल अधिकारियों का नामांकन।

- पंजीकृत पेंशनभोगी संघों सहित विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सभी हितधारकों के साथ समन्वय बैठकें।
- नोडल अधिकारियों के विवरण अपलोड करने के लिए राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 पोर्टल का निर्माण और निगरानी।
- विभिन्न स्थलों की तस्वीरें और ट्वीट्स की संख्या पोस्ट करने के लिए सभी नोडल अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक सोशल मीडिया ग्रुप का निर्माण।
- अभियान के संबंध में रिअल-टाइम अपडेट के लिए मेटा(MeitY) को एक एमआईएस प्रारूप प्रदान करना।
- फेस ऑथेंटिकेशन और डीएलसी विधियां में मेटा(MeitY) और यूआईडीएआई अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण।
- डीएलसी अभियान के संबंध में समाचार पत्रों, टेलीविजन, एफएम रेडियो, सोशल मीडिया, एसएमएस संदेशों, लघु फिल्मों के माध्यम से उचित समय पर जागरूकता अभियान चलाएं।

#### ➤ पेंशन संचितरण बैंकों की भूमिका

- राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के पद से नीचे का न हो।
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए, जहां बैंक को अग्रणी बैंक के रूप में अभिज्ञात किया गया हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उप-नोडल अधिकारियों को नामित किया जाए, जो एजीएम के पद से नीचे का न हो।
- अभियान आयोजित करने के लिए संबंधित शहरों में कई शाखाओं को शॉर्टलिस्ट करें।
- अपने स्थलों पर एक समान एकरूप बैनर का उपयोग करके राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं और सोशल मीडिया, पेंशनभोगियों को एसएमएस तथा अन्य माध्यमों जैसे डिजीटल, एटीएम और प्रमुख शाखाओं पर पोस्टरों द्वारा इस कार्यक्रम का प्रचार करें।
- जब पेंशनभोगी डीएलसी प्रमाणपत्र जमा करने के लिए शाखा में जाएं तो सभी शाखाओं में समर्पित कर्मचारियों (भले ही डीएलसी अभियान के चयनित शहरों/स्थलों की सूची में न हों) के पास इस तकनीक का उपयोग करने के लिए एक एंड्रॉइड फोन हो।
- डीएलसी के सफल प्रस्तुतिकरण के प्रिंटआउट का स्क्रीनशॉट पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाए।
- पेंशनभोगियों को अपने मोबाइल में फेस ऑथेंटिकेशन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाए ताकि वे स्वयं इस तकनीक को सीखें।
- आयोजन के लिए नामित पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, यूआईडीएआई, मेटा(MeitY), पीआईबी तथा दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ-साथ उनके अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के साथ समन्वय करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जमा किए गए डीएलसी प्रोसेस हो गए हैं और पेंशनभोगी को पुष्टिकरण एसएमएस भेजा गया है, दैनिक कार्य किया जाए।
- यूआईडीएआई के माध्यम से उनके सर्वर तक पहुंचने वाली डीएलसी के ओटी-कन्संप्शन के लिए अभियान से पहले उनके सॉफ्टवेयर का निरीक्षण करें।
- वीडियो केवाईसी विधि के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए उनके सॉफ्टवेयर का निरीक्षण करें।
- महिला एवं बीमार पेंशनभोगियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

- घयनित शहरों में उन पेंशनभोगियों की एक अपवाद जांच-सूची तैयार करें जिन्होंने 15 नवंबर, 2023 तक जीवन प्रमाणपत्र नहीं जमा किया है और उन्हें अनुस्मारक एसएमएस भेजें।
- ऐसे पेंशनभोगियों को डोरस्टेप जीवन प्रमाणपत्र सुविधा प्रदान करने की तैयारी करें जो अधिक आयु/अशक्तता के कारण केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- फिजिकल एलसी देने के इच्छुक किसी भी पेंशनभोगी को मना नहीं किया जाए।
- विदेश में बसे और जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए उनके केंद्रों पर आने वाले पेंशनभोगियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभागों को निर्देश दिए जाएं।
- प्रत्येक कार्यक्रम का पीआईवी नोट, ट्वीट और मीडिया कवरेज किया जाना चाहिए और डीओपीपीडब्ल्यू ट्विटर हैंडल को टैग किया जाए। 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाया जाए।
- अभियान की एक मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी [doppw-dlc@gov.in](mailto:doppw-dlc@gov.in) पर तस्वीरें भेजें।

#### ➤ पेंशनभोगी कल्याण संघों की भूमिका

- पेंशनभोगी कल्याण संघ ऐसे पेंशनभोगियों के लिए जो अभियान स्थलों पर जाने में असमर्थ हैं, घर/अस्पताल जाने के लिए अधिकारियों को नामित करेगा।
- अपने सभी सदस्यों के बीच अभियान के बारे में एक सक्रिय जागरूकता अभियान चलाएं और साथ ही अपने आरडब्ल्यूए (आवासीय कल्याण संघ) को अभियान और जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए फेस ऑरेंटिकेशन पद्धति के बारे में अवगत कराएं।
- एक निर्बाध डीएलसी राष्ट्र-व्यापी अभियान चलाने के लिए स्थानीय बैंक/रक्षा (स्पर्श)/पीआईवी अधिकारियों के साथ समन्वय करें।
- पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र देने में पेश आने वाली किसी भी स्थानीय कठिनाई के बारे में राज्य के संबंधित डीओपीपीडब्ल्यू अधिकारी को रिपोर्ट करें।
- अभियान की एक मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी [doppw-dlc@gov.in](mailto:doppw-dlc@gov.in) पर तस्वीरें भेजें।

#### ➤ रक्षा मंत्रालय(स्पर्श) की भूमिका

- केंद्रीय स्तर पर समन्वय कार्य करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करें, जो निदेशक/उपसचिव/उप.सीजीडीए के पद से नीचे का न हो। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/कमांड के लिए उप-नोडल अधिकारी नामित करें, जो उप.सीजीडीए के पद से नीचे का न हो, जहां स्पर्श के पेंशनभोगियों के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है और नोडल अधिकारियों के व्यौरों को पोर्टल पर अपलोड करें।
- बैनर, सोशल मीडिया, एसएमएस तथा सैनिक कल्याण बोर्डों के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
- शिविर पहुंचने वाले पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को एंड्रॉइड फ़ोन दिया जाए।

- यदि मंत्रालय की इच्छा हो, तो अतिरिक्त सुविधाएं देने की व्यवस्था भी की जाए, जैसे निःशुल्क चिकित्सा जांच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक सुसंगत परीक्षण), आधार अद्ययतन, वरिष्ठ नागरिकों के साथ कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ संपर्क।
- रक्षा पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के उपलब्ध विभिन्न उपायों के बारे में उचित जागरूकता अभियान चलाएं।
- प्रचार के लिए सभी स्थलों पर एक समान एकरूप राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 बैनर प्रदर्शित किया जाए।
- अभियान के लिए स्पर्श केंद्रों को तैयार करें और स्पर्श में डीएलसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को लागू करें।
- जिला सैनिक कल्याण बोर्डों को चयनित शहरों में अपने कार्य क्षेत्र में अभियान चलाने की सलाह दें।
- अपने पंजीकृत पेंशनभोगी संघों को रक्षा पेंशनभोगियों को डीएलसी जमा करने में मदद करने की सलाह दें।
- ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों के घर जाने की व्यवस्था करें जो केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- सभी केंद्रों में शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करें और ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन तैयार करें जिनके समक्ष जीवन प्रमाणपत्र देने में समस्याएं पेश आ रही हैं।
- 10 नवंबर, 2023 को डीएलसी की स्थिति की समीक्षा करें और ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों को अनुस्मारक एसएमएस भेजें जिन्होंने अभी तक जीवन प्रमाणपत्र नहीं दिए हैं।
- अभियान की मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी dppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।
- 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बलाया जाए।
- 30 सेकंड के लघु वीडियो लिए जाए।

#### ➤ युआईडीएआई की भूमिका

- पूरे माह चलने वाले अभियान के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाए।
- राज्य-वार नोडल अधिकारियों को नामित करें जो चयनित शहरों और केंद्रों में फोन पर और जहां भी संभव हो भौतिक रूप से तकनीकी सहायता प्रदान करें।
- एक हेल्पलाइन स्थापित करें ताकि डीएलसी में जहां भी समस्याएं आएँ, वहां तकनीकी सहायता दी जा सके।
- राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 के निर्वाह संचालन के लिए एक सुदृढ़ सॉफ्टवेयर सुनिश्चित करें।
- पेंशनभोगियों को उनके आधार विवरण अपडेट करने में अतिरिक्त मदद करने के लिए जहां भी संभव हो, अभियान केंद्रों पर आधार अपडेशन शिविरों की व्यवस्था करें।
- क्षेत्र में अभियान के प्रभारी डीओपीपीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ समन्वय करें।

#### ➤ जीवन प्रमाण टीम, मेटी(MERY) की भूमिका

- राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 की प्रगति के आवश्यक एमआईएस (अलग से सूचित किया जाएगा) प्रदान करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए एक केंद्रीय टीम नामित करें।

- जीवन प्रमाण ऐप पर किसी भी तकनीकी खराबी के मामले में फोन पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करें।
- अभियान अवधि के दौरान एक सुदृढ़ कार्यशील जीवन प्रमाण ऐप सुनिश्चित करें जिसके संचालन में कोई कमी न हो।
- क्षेत्र में अभियान के प्रभारी डीओपीपीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ समन्वय करें।

#### ➤ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/पीआईबी/दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका

- संबंधित डीओपीपीडब्ल्यू अधिकारी के साथ समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी को नामित करें जो निदेशक/उप सचिव रैंक से नीचे का न हो।
- आयोजन से पूर्व, आयोजन के दौरान और बाद में मीडिया के माध्यम से स्थानीय जागरूकता प्रचार-प्रसार करें।
- एक मध्य-अभियान मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित करें।
- पीआईबी और दूरदर्शन दोनों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित करें।
- प्रेस ऑर्थेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए 22 अनुसूचित भाषाओं में एसओपी और जागरूकता अभियान सामग्री के अनुवाद के लिए व्यक्ति को तैनात करें।
- अभियान स्थलों पर विस्तृत कवरेज के लिए दूरदर्शन की टीम तैनात करें।
- राष्ट्र-व्यापी अभियान पर लघु फिल्म बनाएं।
- दूरदर्शन एवं ऑल इंडिया रेडियो पर 02 पैनल चर्चाएं आयोजित करें।

#### 11. मीडिया योजना

- डीएलसी/फेस ऑर्थेंटिकेशन पर सभी जागरूकता सामग्री डीओपीपीडब्ल्यू के पोर्टल पर उपलब्ध होगी। नोडल अधिकारी व्यापक जागरूकता के लिए उस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।
- डीओपीपीडब्ल्यू 15 सितंबर और 15 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय अभियान का विवरण देते हुए डीएलसी/फेस ऑर्थेंटिकेशन के बारे में जागरूकता के लिए पूरे देश को कवर करते हुए 2 पेंट विज्ञापन जारी करेगा।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के उन सिविल पेंशनभोगियों को एसएमएस भेजेगा जिनके मोबाइल नंबर अक्टूबर और नवंबर, 2023 के महीने में डीओपीपीडब्ल्यू डेटाबेस में उपलब्ध हैं।
- 100 शहरों में कई स्थलों पर प्रत्येक अभियान स्थल के लिए पीआईबी नोट्स/ट्यूट जारी किए जाएं।
- सभी बैंक चयनित शहरों में पहले से ही स्थानीय समाचार पत्रों में स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाएं ताकि पेंशनभोगी इन शिविरों में भाग ले सकें।
- सभी 100 शहरों में प्रत्येक शिविर-स्थल का दूरदर्शन कवरेज।
- सितंबर 2023 से, डीएलसी के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए डीएलसी/फेस ऑर्थेंटिकेशन एसओपी, सूचना ग्राफिक्स, लघु वीडियो, डीएलसी अभियान 2022 की सफलता कहानियों को कवर करते हुए ट्विटर श्रृंखला शुरू की जाएगी।
- सचिव (पीएंडपीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में दूरदर्शन द्वारा पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी।
- अभियान के अंत में डीएलसी अभियान पुस्तिका का विमोचन।
- 15 नवंबर, 23 को मध्य-अभियान प्रेस कॉन्फ्रेंस।
- 30 नवंबर, 23 को अभियान-समाप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस।

12. समय समन्वय के लिए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया गया है।

क्र.सं.	नाम	भूमिका	दूरभाष नंबर	ई-मेल आईडी
1	रुचिर मिश्रा सचिव	समन्वयक	011-23340012, 9711173876	ruchimishra@pdaa.gov.in
2	महेश कुमार शीह, अवर सचिव	समन्वयक	011-23340012, 9711173876	shihk123@gmail.com
3	राजेश कुमार, अवर सचिव	सीडिया	011-23340012, 9549623057	rajeshkr73@gmail.com
4	रमलजीत कौर, परामर्शदाता	बैंक समन्वयक	011-23340012, 9643348767	ramanjit.kaur61@gmail.com

13. पूरे भारत में केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों द्वारा डीएलसी के उपयोग की परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नवंबर माह के लिए राष्ट्र-व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र 2.0 के लिए उपरोक्त व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि उपरोक्त भूमिकाओं का पालन करें।

इसे सचिव(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

**संलग्नक**

1. एसओपी
2. डीएलसी पोर्टल के लिए यूजर मैनुअल

*रुचिर मिश्रा*  
रुचिर मिश्रा

निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

दूरभाष: 23340012

ईमेल: ruchimishra@pdaa.gov.in

1. सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग
2. पेंशन संवितरण बैंक के सभी सीएमडी
3. अध्यक्ष, रेल बोर्ड
4. सचिव, मेटी (Meity)
5. सचिव, डाक विभाग
6. सचिव, दूरसंचार विभाग
7. सीजीडीए
8. सीईओ, यूआईडीएआई
9. अध्यक्ष आईपीपीबी